राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर

प्रवेश सम्बन्धी नियम – सत्र 2025–26

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी नियम–

1. अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
2. विश्वविद्यालय नियमानुसार अधिकतम 7 वर्ष के अध्ययन अंतराल के विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा। लेकिन 2 वर्ष के गैप के पश्चात 3 से 7 वर्ष के अंतराल में इण्टरमीडिएट प्राप्तांक का 1-5% अंक की कटौती की जायेगी।
3. बी0एस0–सी0 में केवल **जीव विज्ञान समूह ही प्रवेश हेतु उपलब्ध है।** अतः इण्टरमीडिएट, गणित वर्ग के अभ्यर्थी बी0एस0–सी0 हेतु आवेदन नही कर सकते।
4. प्रवेश योग्यतांक पर होगा। योग्यतांक निम्नवत तैयार की जायेगी–
   - योग्यतांक = इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक + भारांक - गैप वर्ष की कटौती
5. विषय आवंटन कांउसिलिंग के समय किया जायेगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी नियम–

1. अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बंधित/सम्बद्ध विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्नातकोत्तर कक्षा में किसी भी विषय में प्रवेश हेतु वे ही छात्राएँ अर्ह होंगी जिन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष में वह विषय लिया हो जिसमें वे प्रवेश लेना चाहती हैं।
2. विश्वविद्यालय नियमानुसार अधिकतम 7 वर्ष के अध्ययन अंतराल के विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा। लेकिन 2 वर्ष के गैप के पश्चात 3 से 7 वर्ष के अंतराल में स्नातक प्राप्तांक का 1-5% अंक की कटौती की जायेगी।
3. एम0एस0–सी0 में केवल वनस्पति विज्ञान विषय में प्रवेश सुविधा उपलब्ध है।
4. प्रवेश योग्यतांक पर होगा। योग्यतांक निम्नवत तैयार की जायेगी–
   - योग्यतांक = स्नातक का प्राप्तांक + स्नातक में सम्बंधित विषय का प्राप्तांक + भारांक – गैप वर्ष की कटौती
5. स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को उनके कुल पूर्णांक का 5% अंक अधिभार के रूप में दिया जायेगा

भारांक सम्बन्धी नियम–

- प्रवेश के समय शिक्षणेतर क्रिया कलापों से संबंधित प्रमाण–पत्र धारकों को निम्नानुसार भारांक देय होगा।

1. गाइड / रेंजर –

(क) प्रवेश प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	05 अंक
(ख) निपुण प्रमाण–पत्र	07 अंक
(ग) राज्यपाल पुरस्कार	10 अंक

2. खेलकूद–

(क) जनपद स्तरीय प्रमाण–पत्र	05 अंक
(ख) अर्न्तजनपदीय / मण्डलीय स्तर प्रमाण–पत्र	07 अंक
(ग) प्रदेश / राष्ट्रीय स्तर प्रमाण–पत्र	10 अंक

3. एन0सी0सी0–

(क) ट्रेनिंग एवं सामान्य प्रमाण–पत्र	05 अंक
(ख) बी प्रमाण–पत्र	07 अंक
(ग) सी प्रमाण–पत्र	10 अंक

4. एन0एस0एस0–

(क) 240 घंटे सेवावधि का प्रमाण–पत्र	05 अंक
(ख) एक विशेष शिविर प्रमाण–पत्र	07 अंक
(ग) दो विशेष शिविर प्रमाण–पत्र	10 अंक

नोट–किसी भी दशा में शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भारांक 15 से अधिक देय नही होगा।

आरक्षण संबंधी नियम–

- योग्यता सूची का निर्धारण करते समय उ0प्र0 शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों एवं समय–समय पर जारी अनुदेशो का पालन किया जायेगा।
- महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक / कर्मचारी के संबंधी / पाल्य के लिए **5%** सीट आरक्षित हैं।

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपलब्ध विषय

स्नातक	स्नातकोत्तर
(क) भाषा संकाय (बी0ए0) 1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. उर्दू 4. अंग्रेजी (ख) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय (बी0ए0) 1. मानवशास्त्र 2. इतिहास 3. प्राचीन इतिहास 4. अर्थशास्त्र 5. शिक्षाशास्त्र 6. भूगोल 7. राजनीति विज्ञान 8. मनोविज्ञान 9. दर्शनशास्त्र 10. समाजशास्त्र 11. शारीरिक शिक्षा 12. गृहविज्ञान (ग) ललित और प्रदर्षन कला संकाय (बी0ए0) 1. चित्रकला 2. संगीत (घ) विज्ञान संकाय (बी0एस0–सी0) 1. रसायन विज्ञान 2. जन्तु विज्ञान 3. वनस्पति विज्ञान 4. भूगर्भ विज्ञान 5. गृहविज्ञान	(क) भाषा संकाय (एम0ए0) 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी (ख) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय (एम0ए0) 1. शिक्षाशास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. प्राचीन इतिहास 4. अर्थशास्त्र 5. गृहविज्ञान (ग) विज्ञान संकाय (एम0एस0–सी0) 1. वनस्पति विज्ञान

SUBJECT- TIE

निम्नलिखित विषय समूहो में से किसी एक विषय का ही चयन किया जा सकता है

1. हिन्दी / शिक्षाशास्त्र / राजनीति विज्ञान
2. संस्कृत / उर्दू
3. अंग्रेजी / चित्रकला
4. संगीत / अर्थशास्त्र
5. मध्यकालीन इतिहास / प्राचीन इतिहास
6. समाजशास्त्र / गृहविज्ञान
7. मनोविज्ञान / मानवशास्त्र / दर्शनशास्त्र
8. भूगोल / शारीरिक शिक्षा

प्राचार्य
राजकीय महिला पी०जी० कालेज
गाजीपुर